

## प्र.सं. 69/16 वालजी व अन्य बनाम कन्हैयालाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.03.2020	<p>प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी नंबर 510 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नंबर 513 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा एवं आराजी नंबर 515 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि ग्राम तोरणिया में स्थित है। संवत् 2000 से लेकर 2028 की खसरा गिरदावरी में वादीगण कब्जा दर्ज होकर बहैसियत शिकमी दर्ज है, किन्तु वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गयी है, जिससे प्रतिवादी बेदखल करने पर आमामादा है। अतः वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।</p> <p>प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि मौके पर प्रतिवादी का कब्जा है, वादीगण का कब्जा नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 ने वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए विवादित भूमि का खातेदार कृषक प्रतिवादी संख्या 1 को बताया।</p> <p>अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 8 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16.09.2016 को प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री एच. एल. जैन उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 औपचारिक पक्षकार की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।</p> <p>दौराने पर बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में</p>	

वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में बिना सुनवाई एवं पक्षकारों की सहमति के निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्त शिकमी काश्तकार के रूप में 50 वर्षों से भी अधिक समय से काश्त करता चला आ रहा है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2008 से 2028 में खातेदार व शिकमी दर्ज है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्त/वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि खसरा गिरदावरी संवत 2000 से 2028 तक अपीलान्त/वादीगण के पिता का नाम उप-काश्तकार एवं कब्जे के कॉलम में दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित किया है, जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

